भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 215

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

बच्चों का शोषण

215. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों के यौन, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण से संबंधित कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार और लडकियों की अनदेखी का मूल्यांकन करने के लिए "बाल दुर्व्यवहार संबंधी अध्ययन: भारत 2007" नामक एक अध्ययन किया था। इसकी रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट http://wcd.nic.in/childabuse.pdf पर उपलब्ध है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का संचालन करता है। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों और कार्यों की दोषपूर्णता को कम करना है, जिनके कारण परिवार से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उनकी अनदेखी, शोषण, परित्याग और वियोजन होता है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012, जो दिनांक 14 नवम्बर, 2012 से प्रभावी हुआ है, यौन दुर्व्यवहार और शौषण से बच्चों का संरक्षण करने के लिए एक विशेष कानून है। पीओसीएसओ अधिनियम के अलावा, बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए अनेक अन्य विशिष्ट कानून हैं।

गृह मंत्रालय ने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्ये क्षेत्रों को अनेक परामर्शी-पत्र जारी किए हैं।

ये परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mha.nic.in/national_adv पर उपलब्ध है।

*****